न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-03, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी — ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांकः 16-04-2026
सेशन प्रकरण संख्याः 17/23
सी.आई.एस नंबर 120/22
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या -534/20 थाना एन.ई.बी
अंतर्गत धारा - 279, 323, 353, 307, 120B भा.दं.सं.
अभियोगीः-

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
उपस्थितः-अभियोजन अधिकारी ।
-श्री अजीत यादव, अभियोजन अधिकारी ।
-श्री हेमराज गुप्ता अधिवक्ता परिवादी ।

बनाम

अभियुक्तगणः-

1. परमजीत सिंह उर्फ पम्मा कबाड़ी पुत्र मुलताना सिंह, निवासी- म.नं. 3/155, एनइबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मण्डी के पीछे, थाना एनइबी, अलवर
2. गुरदीप सिंह पुत्र लखविंदर सिंह, निवासी- 1/84, एनइबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मण्डी के पीछे, थाना एनइबी, अलवर
3. गुरुचरण सिंह उर्फ गुरुदयाल सिंह उर्फ सिन्डू पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी- गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी, भांड बस्ती, अलवर के पास

उपस्थितः-श्री अशोक मीणा,श्री हिमांशु बगरहट्टा विद्वान अधिवक्ता ।

-प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

अपराध की तिथि	22.09.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	23.09.2020

आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	27.08.2022
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	13.02.2025, 28.02.2025
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	21.05.2025
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	16.04.2026
निर्णय की तिथि	16.04.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि [यदि हो तो]	निल

-अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची-

क.अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी डब्ल्यू 1	रघुवीर सिंह	बयान, नक्शा मौका, फर्द जब्ती, फर्द गिरफतारी
पी डब्ल्यू 2	सुखराम	परिवादी, बयान
पी डब्ल्यू 3	डॉ. मनोज कुमार शर्मा	एमएलसी रिपोर्ट
पी डब्ल्यू 4	धारा सिंह	बयान गवाह
पी डब्ल्यू 5	राकेश कुमार सैनी	बयान गवाह
पी डब्ल्यू 6	सुंदरलाल	बयान गवाह
पी डब्ल्यू 7	हरेन्द्र सिंह	बयान गवाह
पी डब्ल्यू 8	पांचूराम	हालात तफतीश्
पी डब्ल्यू 9	प्रेम सिंह	बयान, नक्शा मौका , फर्द जब्ती, फर्द गिरफतारी, फर्द निरूद्धगी
पी डब्ल्यू 10	कमल सिंह	बयान गवाह

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

-अभियोजन /बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची-

प्रदर्श सूची–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजो की प्रकृति प्रदर्श
1	प्रदर्श पी–01	नक्शा मौका
2	प्रदर्श पी–02	फर्द गिरफ्तारी गुरदीप सिंह
3	प्रदर्श पी–03	फर्द गिरफ्तारी गुरचरण उर्फ गुरुदयाल सिंह
4	्प्रदर्श पी–04	फर्द गिरफ्तारी परमजीत सिंह उर्फ पम्मा
5	प्रदर्श पी–05	फर्द जप्ती सेंट्रो कार
6	प्रदर्श पी–06	चोट प्रतिवेदन कमल सिंह तथा तहरीरी रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी–07	चाक एफआईआर
8	प्रदर्श पी–08	रोजनामचा रपट
9	प्रदर्श पी–09	रोजनामचा रपट
10	प्रदर्श पी–10	सैंट्रो कार की पैकेज पॉलिसी
11	प्रदर्श पी–11	होमगार्ड का कार्यालय आदेश
12	प्रदर्श पी–12	होमगार्ड हरीसिंह का ड्यूटी आदेश
13	प्रदर्श पी–13	हरेन्द्र सिंह चालक कानि. का नियुक्ति आदेश
14	प्रदर्श पी–14	कानि. प्रेम सिंह का नियुक्ति आदेश
15	प्रदर्श पी–15	कमल सिंह कानि. का नियुक्ति आदेश

16	प्रदर्श पी–16	सुखराम का नियुक्ति आदेश
17	प्रदर्श पी–17	चार्जशीट की केस डायरी
18	प्रदर्श पी–18	मालखाना रजिस्टर की प्रति

क.बचाव

क्रम संख्या	**दस्तावेजों की प्रकृति**	**प्रदर्श डी. संख्या**
1	बयान धारा 161 सीआरपीसी रघुवीर सिंह	प्रदर्श डी 1
2	बयान धारा 161 सीआरपीसी धारा सिंह	प्रदर्श डी 1
3	बयान धारा 161 सीआरपीसी सुखराम	प्रदर्श डी 2
4	बयान धारा 161 सीआरपीसी कमल सिंह	प्रदर्श डी 2
5	बयान धारा 161 सीआरपीसी राकेश	प्रदर्श डी 2

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक: 16.04.2026</u>**

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से **अभियुक्तगण परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, गुरदीप सिंह, गुरुचरण सिंह उर्फ गुरुदयाल सिंह उर्फ सिन्डू** के विरूद्ध अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सुखराम ने थाना एन.ई.बी में रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 दिनांक 23.09.2020 को इस आशय की प्रस्तुत की कि "दिनांक 22.09.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला अलवर के निर्देशानुसार ए-श्रेणी की नाकाबंदी समय 11 पीएम से 01 एएम तक के आदेश फरमाए । जिस पर परिवादी सुखराम मय पिस्टल, मय कारतूस, मय जाप्ता कानि. प्रेम सिंह, कानि. रघुवीर, कानि. कमल, आरएचजी राकेश, आरएचजी धारा

सिंह मय टॉर्च मय रिफलेक्टर जैकेट मय सरकारी वाहन, मय चालक हरेंद्र सिंह नाकाबंदी हेतु हनुमान सर्किल पहुंचे। जहां ए-श्रेणी की नाकाबंदी में आने जाने वाले वाहनों को चैक किया जा रहा था। दौराने नाकाबंदी करीब 11.30 पीएम पर राजगढ़ की तरफ से एक सैंट्रो गाड़ी नं. आरजे02 सीबी 7111 तेजी व लापरवाही से चलाती हुई आई । जिसको जाप्ता द्वारा चैक करने हेतु हाथ का ईशारा देते हुए रुकवाना चाहा गया। उक्त गाड़ी में चार व्यक्ति दिखाई दिए। उक्त गाड़ी के चालक ने राजकार्य में बाधा डालते हुए जान से मारने की नियत से जाप्ता के टक्कर मारी, जिससे कानि. कमल सिंह मय हथियार के गिर गया व उसके शरीर पर जगह-जगह चोटें आई।

03. उक्त चालक वाहन को मंडी मोड़ की तरफ तेजी से भगा कर ले गया। इस पर परिवादी मय मुलाजमान, मय चालक सरकारी गाड़ी बोलेरो से उक्त वाहन का पीछा किया, तो वाहन चालक एनईबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मंडी के पास वाहन को छोड़कर भाग गया। चार में से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। बाकि तीन फरार हो गए। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम गुरदीप बताया। पूछने पर उसने अपने साथ वालों का नाम परमजीत उर्फ पम्मा व गुरुदयाल उर्फ सिंडू बताया। तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं जानना बताया। अतः कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया.....इत्यादि।

04. उक्त रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 534/2020 थाना एन.ई.बी में अंतर्गत धारा 279, 332, 353, 307 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.08.2022 को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 279, 323, 353, 307, 120बी में प्रसंज्ञान लिया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय, अलवर को उपार्पित किया गया जहां से प्रकरण वास्ते निस्तारणार्थ इस न्यायालय को अंतरित किया गया ।

05. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 279, 323, 353, 307, 120बी भा.दं.सं. के आरोप से आरोपित किया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही । दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया ।

06. अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लिये गये। जिसमें अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया। अभियुक्तगण परमजीत व गुरुरचरण ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया, जिनको साक्ष्य सफाई पेश करने हेतु अवसर दिया गया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर अवसर बंद किया गया। अभियुक्त गुरदीप ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। जिस पर उसका साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

07. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.09.2020 को समय करीब रात्रि साढ़े ग्यारह बजे पुलिस नाकाबंदी के दौरान वाहन सेंट्रो आरजे02 सीबी 7111 को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए पुलिस मुलाजमान के लो ककर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करने हेतु आपराधिक षडयंत्र की रचना कर जान से मारने की नियत से टक्कर मारकर उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से कानि० कमल सिंह की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते ?

यदि हाँ तो उचित दण्डादेश क्या होगा?

08. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि परिवादी द्वारा रिपोर्ट देरी से कराई गई व कार्यवाही में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। साथ ही यह भी तर्क दिया की रास्ते की कोई सीसीटीवी फुटेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराई गई है एवं गाड़ी के शीशे बंद थे तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस को जान से मारने की बात कैसे सुनाई दी। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पर जान से मारने की नियत से गाड़ी नहीं चढ़ाई गई व ना ही राजकार्य में कोई बाधा पहुंचाई गई। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

09. जबकि दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया की अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद होती है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

10. बहस उभय पक्षीय सुनने पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया। परिवादी **सुखराम पी.डब्लयू 2** को परीक्षित कराया गया। पी.डब्लयू 2 सुखराम ने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किए कि दिनांक 22.09.2022 को वह थाना एनईबी में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थाने से मय जाप्ता रघुवीर, प्रेम सिंह, कमल मय होमगार्ड मय सरकारी गाड़ी से नाकाबंदी हेतु हनुमान सर्किल पहुंचे। रात को करीब 11.30 बजे नाकाबंदी के दौरान तेज गति व लापरवाही से राजगढ़ की तरफ आती हुई एक सेंट्रो गाड़ी रजि. नं. आरजे02 सीबी 7111 दिखी, जिसे रुकवाने का प्रयास किया गया, गाड़ी नहीं रुकी व तेज गति से चलते हुए कानि. कमल सिंह को टक्कर मारी । जिससे उसकी राईफल गिर गई व उसके चोटें आई। फिर चालक गाड़ी को तेज गति से मंडी मोड़ की तरफ ले गया। मय जाप्ता उक्त वाहन का पीछा किया गया, जिस पर गाड़ी को कृषि उपज मंडी के पीछे छोड़कर अभियुक्तगण भाग गए।

11. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि उनमें से एक व्यक्ति पकड़ में आया, जिसने पूछने पर अपना नाम गुरदीप सिंह पुत्र लखविंदर बताया। उसने बताया कि उसके साथ परमजीत व गुरदयाल थे। फिर अभियुक्त गुरदीप व सेंट्रो कार को लेकर एनइबी थाने गया। जहां तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दर्ज की, जिस पर एफआईआर संख्या 534/2020 दर्ज होकर अनुसंधान प्रारंभ हुआ। दौराने अनुसंधान आईओ द्वारा दिनांक 23.09.2020 को मौके पर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। दोनों फर्दों पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताया।

12. दौराने जिरह गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहे गए कथनों कि पुष्टि की गई। साथ ही स्वीकार किया कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 में 22.09.2020 अंकित है एवं नक्शा मौके प्रदर्श पी-1 पर दिनांक 23.09.2020 अंकित है। घटना 22.09.2020 को घटित हुई। प्रदर्श पी-6 तहरीरी रिपोर्ट पर कोई समय अंकित नहीं है। घटना रात करीब 11.30 बजे की थी, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को पकड़कर लगभग 12 बजे के बाद थाने पर लाया गया। अतः पी.डब्ल्यू 02 सुखराम के बयानों में कोई प्रमुख विरोधाभास प्रकट नहीं होता है और तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित घटना की पुष्टि होती है।

13. **पीडित कमल पी.डब्ल्यू 10** ने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि दिनांक 22.09.2022 को

वह थाना एनईबी में कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थाने से एएसआइ सुखराम मय जाप्ता रघुवीर, प्रेम सिंह, सुरेन्द्र, हरिसिंह व धारा सिंह मय सरकारी गाड़ी मय चालक से नाकाबंदी हेतु हनुमान सर्किल पहुंचे। रात को करीब 11.30 बजे नाकाबंदी के दौरान तेज गति व लापरवाही से राजगढ़ की तरफ आती हुई एक सैंट्रो गाड़ी रजि. नं. आरजे02 सीबी 7111 दिखी । जिसमें चार आदमी बैठे थे, उस वाहन को रुकवाने की कोशिश की तो वह नहीं रुकी। उन लोगों में से तीन व्यक्ति चिल्ला रहे थे कि गाड़ी को नहीं रोकना।

14. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि गाड़ी वालों ने जान से मारने की नियत से गाड़ी उसके उपर चढ़ाने का प्रयास किया था । जिससे वह व एएसआइ नीचे गिर गए, जिसमें उसके चोटें आई। मय जाप्ता उक्त वाहन का पीछा किया गया, जिस पर गाड़ी को कृषि उपज मंडी के पीछे छोड़कर अभियुक्तगण भाग गए। उनमें से एक व्यक्ति पकड़ में आया, जिसने पूछने पर अपना नाम गुरदीप सिंह पुत्र लखविंदर बताया। उसने बताया कि उसके साथ परमजीत व गुरदयाल थे। गुरदीप सिंह से भागने का कारण पूछने पर उसने बताया कि जो व्यक्ति उसके साथ थे वह कह रहे थे कि गाड़ी को रोकना मत और पुलिस वालों पर चढ़ा देना। गवाह पी.डब्ल्यू 10 कमल ने अपनी चोटों के मेडिकल मुआयने प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर होना बताया।

15. दौराने जिरह पी.डब्ल्यू 10 ने इस तथ्य का दोहराव किया कि चालक लापरवाही से गाड़ी चलाकर ला रहा था। यह भी स्वीकार किया कि गाड़ी को करीब 10-15 कदम की दूरी से देख लिया था। गाड़ी को रोकने के लिए बैरिकेट्स किसने लगाए उसे जानकारी नहीं है। गाड़ी ने किसी बैरिकेट्स को टक्कर मारी थी या नहीं यह भी उसे याद नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि गाड़ी उसे जहां टक्कर मारकर चली गई वहां घुमाव होने के कारण गाड़ी की स्पीड कम थी। उसके कोई गंभीर प्रकृति की चोट नहीं आई। वह स्वयं सरकारी गाड़ी में बैठकर मुलजिमान का पीछा करने गया। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी इसलिए उसके साथी पुलिस वाले उसे पहले अस्पताल लेकर नहीं गए।

16. गवाह पी डब्ल्यू 10 कमल सिंह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं कर पाता है कि उसने चलती गाडी में से यह किस प्रकार सुना था कि अभियुक्तगण ने गाडी में से यह चिल्लाया हो कि गाडी को कमल सिंह के उपर चढा दे और उसको जान से मारने की नीयत से कोई चोटें पहुंचाये । तथा

नाकाबंदी के संबंध में भी उक्त गवाहों द्वारा स्पष्ट रूप से कोई कथन नहीं कहे गये हैं। क्योंकि यदि नाकाबंदी थी तो अभियुक्त ने नाकाबंदी के बेरिकेट्स आदि तोडे हो तो बेरिकेट तोडने के बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। तथा पीडित के ऐसी कोई चोटें भी नहीं है जो जानलेवा प्रकृति की हो । पीडित के केवल साधारण चोटें हैं। और केवल साधारण सी नीलगू निशान आदि के बाबत सामान्य चार चोटें आयी हुयी है या केवल दर्द की शिकायत है। इससे भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अभियुक्तगण ने पीडित कमल को मारने के आशय से गाडी उस पर चढाई हो और इस संबंध में डॉ0 पी डब्ल्यू 3 मनोज की साक्ष्य को भी देखें तो डॉक्टर मनोज ने भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि की है।

17. **पी.डब्ल्यू 03 डॉ. मनोज कुमार शर्मा** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 23.09.2020 को वह सामान्य चिकित्सालय अलवर में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना एनईबी की तहरीर पर मजरुब कमल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया। चोट संख्या 1 व 2 सामान्य प्रकृति की थी, जो कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या 3 व 4 केवल दर्द की शिकायत थी, कोई दिखती हुई चोट नहीं थी। चोट की अवधि लगभग 12 घंटे के अंदर की थी। पी.डब्ल्यू 03 ने चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। दौराने जिरह पी.डब्ल्यू 03 ने यह स्पष्ट किया कि प्रदर्श पी-6 में वर्णित चोटें सामान्य प्रकृति की थी व वर्णित चोटें प्राण घातक नहीं थी।

18. उक्त गवाह ने भी अपनी जिरह में यह स्पष्ट कथन कहे हैं कि चोट संख्या 1 व 2 साधारण प्रकृति की है और चोट संख्या 3 व 4 दर्द की शिकायत है और कोई भी चोटें प्राणघातक नहीं है । **अतः अभियुक्तगण पर अपराध अंतर्गत धारा 307 भा.दं.सं. का अपराध किसी भी दृष्टि से साबित नहीं होता है।**

19. **पी.डब्ल्यू 01 रघुवीर व पी.डब्ल्यू 09 प्रेम सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षण में मुख्यतः तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि दिनांक 22.09.2020 को वह थाना एनईबी में कानि. के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन वह थाने से मय जाप्ता कानि. कमल मय होमगार्ड मय सरकारी गाड़ी से नाकाबंदी हेतु हनुमान सर्किल पहुंचे। रात को करीब 11.30 बजे नाकाबंदी के दौरान तेज गति व लापरवाही से राजगढ़ की तरफ आती हुई एक सेंट्रो गाड़ी रजि. नं. आरजे02 सीबी 7111 दिखी । जिसे रुकवाने का प्रयास किया गया, गाड़ी नहीं

रुकी। उन लोगों में से तीन व्यक्ति चिल्ला रहे थे कि गाड़ी को नहीं रोकना है। गाड़ी चालक ने तेज गति से गाड़ी चलाते हुए कानि. कमल सिंह को टक्कर मारी, जिससे उसकी राईफल गिर गई व उसके चोटें आई। फिर चालक गाड़ी को तेज गति से मंडी मोड़ की तरफ ले गया। मय जाप्ता उक्त वाहन का पीछा किया गया, जिस पर गाड़ी को कृषि उपज मंडी के पीछे छोड़कर अभियुक्तगण भाग गए। उनमें से एक व्यक्ति पकड़ में आया, जिसने पूछने पर अपना नाम गुरदीप सिंह पुत्र लखविंदर बताया। उसने बताया कि उसके साथ परमजीत व गुरदयाल थे।

20. उक्त गवाहान ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1, अभियुक्तगण गुरदीप, गुरुचरण व परमजीत की फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी-2, पी-3 व पी-4 व सेंट्रो कार की जप्ती प्रदर्श पी-5, पी.डब्ल्यू 1 व पी.डब्लयू 9 ने उनके सामने बनाया जाना बताया व उन पर अपने हस्ताक्षर होना बताया।

21. दौराने जिरह पी.डब्ल्यू 01 व 09 ने स्वीकार किया कि तीन व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वह 15 कदम की दूरी से चिल्ला रहे थे, पर उनकी गाड़ी के शीशे खुले थे या नहीं यह स्पष्ट रुप से याद नहीं। नाकाबंदी के दौरान उन्होंने बेरीकेट लगाया या नहीं यह भी याद नहीं। दोनों ने अपनी जिरह में इस सुझाव से इनकार किया कि उनके उच्चाधिकारी से कहासुनी हो जाने से यह लोग गाड़ी को भगाकर ले गए। इसके अतिरिक्त दौराने जिरह पी.डब्ल्यू 01 व 09 ने अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए बयानों की पुष्टि की।

22. **गवाह पी.डब्ल्यू 04 धारा सिंह, पी.डब्लयू 05 राकेश कुमार सैनी, पी.डब्ल्यू 06 सुंदरलाल व पी.डब्ल्यू 07 हरेंद्र जाप्ते** के गवाह हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 04, 05, 06 व 07 मय जाप्ता हनुमान सर्किल पहुंचे जहां ए-श्रेणी की नाकाबंदी थी। दिनांक 22.09.2020 को रात को करीब 11.30 बजे नाकाबंदी के दौरान तेज गति व लापरवाही से राजगढ़ की तरफ आती हुई एक सेंट्रो गाड़ी रजि. नं. आरजे02 सीबी 7111 दिखी । जिसमें चार आदमी बैठै थे, उस वाहन को रुकवाने की कोशिश की तो वह नहीं रुकी। उन लोगों में से तीन व्यक्ति चिल्ला रहे थे कि गाड़ी को नहीं रोकना। चालक के अलावा तीन व्यक्ति जोर-जोर से चिल्ला कर कह रहे थे कि गाड़ी को रोकना मत पुलिस वाले गाड़ी रुकवा रहे हैं, इनके उपर चढ़ा दो। इस पर चालक ने गाड़ी को नहीं रोका और जाप्ते पर जान से मारने की नियत से उन्हें टक्कर मारी, जिसमें कानि. कमल सिंह के चोटें आई। चालक गाड़ी को तेज गति से मंडी मोड़ की तरफ भगा ले गया।

23. उक्त् गवाहान यह भी कथन करते हैं कि जिस पर मय जाप्ता उक्त वाहन का पीछा किया गया, जिस पर गाड़ी को कृषि उपज मंडी के पीछे छोड़कर अभियुक्तगण भाग गए। उनमें से एक व्यक्ति पकड़ में आया, जिसने पूछने पर अपना नाम गुरदीप सिंह पुत्र लखविंदर बताया। उसने बताया कि उसके साथ परमजीत व गुरदयाल थे। गुरदीप सिंह से भागने का कारण पूछने पर उसने बताया कि जो व्यक्ति उसके साथ थे वह कह रहे थे कि गाड़ी को रोकना मत और पुलिस वालों पर चढ़ा देना। जिस पर चालक परमजीत ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस जाप्ते पर चढ़ा दी। दौराने जिरह गवाह पी.डब्ल्यू 04, 05, 06 व 07 ने कोई विरोधाभासी कथन नहीं किया है व अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए बयानों की पुष्टि की है।

24. **गवाह पी.डब्ल्यू 08 पांचूराम** अनुसंधान अधिकारी है। अपने मुख्य परीक्षण में पी.डब्ल्यू 08 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.09.2020 को थाना एनईबी में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं. 534/2020 की तफ्तीश उसे सुपुर्द की गई थी। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान परिवादी सुखराम व गवाहान रघुवीर, धारासिंह, कमल सिंह, राकेश, प्रेम सिंह, हरीसिंह, सुंदर लाल व हरेंद्र के बयान धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान लेखबद्ध किए हैं। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 परिवादी की निशादेही से तैयार किया गया है व मुलजिमान गुरदीप सिंह, गुरुचरण उर्फ गुरुदयाल व परमजीत को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2, पी-3 व पी-4 तैयार की गई।

25. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि वाहन सेंट्रो कार नं. आरजे02 सीबी 7111 को जप्त कर फर्द जप्ती प्रदर्श पी-5 तैयार की गई। इन सभी फर्दों पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया। आहत कमल सिंह के शरीर पर आयी चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 शामिल पत्रावली किया गया । रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 8 व पी 9 को शामिल पत्रावली किया गया । वाहन कार नंबर आर.जे 02 सीबी 7111 की पैकेज पॉलिसी प्रदर्श पी 10 तथा होमगार्ड धारा सिंह , सुन्दरलाल, राकेश कुमार की डयूटी आदेश प्रदर्श पी 11 व होमगार्ड हरसिंह का डयूटी आदश प्रदर्श पी 12, हरेन्द्र सिंह चालक कानि० का नियुक्ति आदश प्रदर्श पी 13, कानि० प्रेमसिंह का नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 14, कमल सिंह कानि० का नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 15, सुखराम का नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 16, चार्जशीट की केस डायरी प्रदर्श पी 17, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 18 को शामिल पत्रावली किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चालान न्यायालय

में पेश किया।

26. दौराने जिरह पी.डब्ल्यू 08 ने यह स्वीकार किया है कि हनुमान चौराहे के आसपास दुकानें हैं व चलता हुआ रोड है, पर नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 पर कोई स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं कराए। पूरे अनुसंधान में किसी स्वतंत्र गवाह को साक्षी नहीं बनाया। साथ ही यह भी स्वीकार किया की पीड़ित कानि. कमल के ऐसी कोई जाहिरा चोट नहीं थी, जो गंभीर प्रकृति की हो।

27. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि एफ.आई.आर किस समय करवायी गयी इस बाबत एफ.आई.आर में समय का कोई अंकन नहीं है तथा उन्हें जांच दिनांक 23.09.2020 को प्राप्त हुयी थी तथा घटनास्थल के आसपास सी.सी.टी.वी कैमरे लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे यह उसे जानकारी नहीं है।

28. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि पुलिस के द्वारा सी.सी.टी.वी कैमरे की कोई फुटेज नहीं ली गयी । तो इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घटना रात के समय की है और आवश्यक नहीं कि घटनास्थल पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगे हुए हो और वह चालू भी हो । और रात के समय दुकानें भी बंद थी ।

29. गवाह पी डब्ल्यू 8 पांचूराम अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि पीडित कमल के कोई जाहिरा चोट नहीं थी और गंभीर प्रकृति की भी चोट नहीं थी । और उसने प्रकरण में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया ।

30. इस संबंध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। तो अभियुक्तगण के अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घटना रात के समय की है और यह आवश्यक नहीं कि रात के ग्यारह-बारह बजे घटनास्थल पर ही व्यक्ति घटना को देखने वहां उपस्थित हो ।

31. पुलिस के सभी गवाहों ने इस संबंध में अपनी स्पष्ट साक्ष्य दी है कि अभियुक्तगण तेज गति से गाडी चलाकर ले गये और पुलिस के रोकने पर भी गाडी नहीं रोकी और गाडी की टक्कर से कमल सिंह के चोटें भी आयी हैं। परन्तु

उक्त तीनों अभियुक्तगण ने षडयंत्र करके पीडित कमल सिंह को मारने का कोई प्रयास किया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तथा किसी भी अन्य पीडित के कोई चोटें नहीं है।

अभियुक्तगण द्वारा केवल पीडित कमल सिंह व अन्य व्यक्तियों को भयोपरत करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया , बल्कि पीडित कमल सिंह के टक्कर मारकर चोटें भी पहुंचायी है और राजकार्य में बाधा उत्पन्न की है। अतः **अभियुक्तगण पर अपराध अंतर्गत धारा 279 व 332 भा.दं.सं. का आरोप स्पष्ट रूप से साबित होता है।**

परन्तु अभियुक्तगण पर अपराध अंतर्गत धारा 323, 353, 307, व 120बी भा.दं.सं. का आरोप किसी भी प्रकार से साबित नहीं होता है।

32. अतः अभियुक्तगण अपराध अंतर्गत धारा 323, 353, 307, व 120बी भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं । तथा इसके स्थान पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279 व 332 भा.दं.सं. का आरोप बनना पाया जाता है।

आदेश

33. अतः अभियुक्तगण **1.परमजीत सिंह उर्फ पम्मा कबाड़ी** पुत्र मुलताना सिंह, निवासी- म.नं. 3/155, एनइबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मण्डी के पीछे, थाना एनइबी, अलवर **2. गुरदीप सिंह** पुत्र लखविंदर सिंह, निवासी- 1/84, एनइबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मण्डी के पीछे, थाना एनइबी, अलवर **3. गुरुचरण सिंह उर्फ गुरुदयाल सिंह उर्फ सिन्डू** पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी- गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी, भांड बस्ती अलवर के पास, अलवर को **अपराध अंतर्गत धारा 279 व 332 भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

तथा उक्त सभी अभियुक्तगण परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, गुरदीप सिंह, गुरचरण सिंह उर्फ गुरदयाल सिंह उर्फ सिन्डू को **अपराध अंतर्गत धारा 323, 353, 307, व 120बी के तहत साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

<u>दण्डादेश के बिन्दु पर</u>

34. दण्ड के बिन्दु पर अधिवक्ता अभियुक्तगण को सुना गया । अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाए ।

35. अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया ।

36. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित चला आ रहा है। अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा **279 व 332 भा.दं.सं.** के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया है। जिनकी पूर्व दोषसिद्धी संबंधी या आभ्यासिक अपराधी होने संबंधी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद होना प्रकट नहीं हुआ है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को तुरंत दंडित करने की बजाय परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

37. अतः **अभियुक्तगण 1.परमजीत सिंह उर्फ पम्मा** कबाड़ी पुत्र मुलताना सिंह, निवासी- म.नं. 3/155, एनइबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मण्डी के पीछे, थाना एनइबी, अलवर **2. गुरदीप सिंह** पुत्र लखविंदर सिंह, निवासी- 1/84, एनइबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मण्डी के पीछे, थाना एनइबी, अलवर **3. गुरुचरण सिंह उर्फ गुरुदयाल सिंह उर्फ सिन्डू** पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी- गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी, भांड बस्ती, अलवर को **अपराध अंतर्गत धारा 279 व 332 भा.दं.सं.के तहत दोषसिद्ध** घोषित किया जाकर धारा 4 [1] परिवीक्षा अधिनियम का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त 02 वर्ष की अवधि बाबत स्वयं का बंधपत्र तादादी 10,000/-रूपये व इसी कदर जमानत इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे कि वह इस अवधि के दौरान शांति एवं सदाचार बनाये रखेगें, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगें तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर सजा भुगतने हेतु उपस्थित होगें तो वह परिवीक्षा पर आजाद रहे । साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक अभियुक्त 2,000/-रूपये [अक्षरे दो हजार रूपये] **कुल 2,000x3= 6,000/-रूपये** अभियोजन व्यय के रूप् में जमा करवायेगा तो वह परिवीक्षा पर आजाद रहे । अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके

निरस्त किये जाते हैं।

38. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आर.जे 02 सी.बी 7111 का सुपुर्दनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

39. निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर